रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1974/चैत्र 9, 1896

No. 164] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1974/CHAITRA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1 Feb 1974

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th March 1974

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment No. S.O. 514E, dated the 24th September, 1973, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amounts from the employer, the provident fund accumulations, that is to say, the contributions, interest and sundry receipts as reduced by any obligatory outgoing, in according with the follwing pattern, namely:—

(i) Central Government securities—45 per cent.

(ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities—25 per cent.

(iii) Post Office Time Deposits and Small Savings—30 per cent.

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or reinvestment of accumulations in accordance with the aforesaid directions and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

[No. G.27035(3)/74-PF.I/I.]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च 1974

का० सा० 228 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 514 ङ, दिनांक 24 सितम्बर, 1973 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छुट प्राप्त स्थापन से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा 27-क के अधीन छुट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मालिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक् रूप से गठित न्यासी बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, ब्याज और विविध प्राप्तियों को, बाध्यकर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित-नमुने के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकम की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभुतियों में	45%
(ii) राज्य सरकार प्रतिभुतियां में और राज्य/सरकारों या केन्द्रीय सरकारों द्वारा गारण्टी कृत प्रतिभुतियों में	25%
(iii) डाक घरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में	3 %

उपर्युक्त नमुना प्रथम अप्रैल 1974 से 30 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभुतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रभाग पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभुतियों में) भी ऊपर पैरा-1 में उपवर्णित नमुने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. न्यासीबोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा और उसे संबंधित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

[सं० जी०27035(3)/74-पी०एफ०I/I]

S.O. 229(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme and in snpersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 516E, dated the 24th September, 1973, the Central Government hereby directs that accumulations out of the provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

(i) Central Government securities—45 per cent.

(ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities—25 per cent.

(iii) Post Office Time Deposits and Small Savings—30 per cent.

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1974 to 30th September, 1974.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G.27035(3)/74-PF.I/II.]

DALJIT SINGH, Dy. Secy.

का० आ० 229 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 516ई, दिनांक 24 सितम्बर, 1973 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों, को बाध्यकर निर्गमों को कम कर के, निम्नलिखित नमुने के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i)	केन्द्रीय सरकार प्रतिभुतियों में	45 %
(ii)	राज्य सरकार प्रतिभुतियों में और राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभुतियों में,	25%
(iii)	डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में	35%

उपर्युक्त नमुना प्रथम अप्रैल, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभुतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रभाग-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभुतियों) भी ऊपर पैरा 1 में उपवर्णित नमुने के अनुसार किए जाएंगे ।

[सं० जी०27035(3)/74—पी०एफ० I/II]

दलजीत सिंह, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974